संख्या- /872/84-1-13-21बामा/2009टीसी-III

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 16 सितम्बर, 2013

विषय- जनपद आगरा में कार्यमानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 306/निविमावि-लेखा 7(25)भा0स0यो0 IV/2013, दिनॉक 22-8-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा में कार्यमानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु रू0 19,38,000/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनॉक 28-3-2013 में दी गई व्यवस्थानुसार 50 प्रतिशत धनराशि रू0 9,69,000/-(नौ लाख उनहत्तर हजार रूपये) मात्र की धनराशि अवमुक्त करने की निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि में से अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनॉक 28 मार्च, 2013 के निर्देशानुसार द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी। धनराशि का उपयोग संलग्न आगणन में उल्लिखित मदों पर ही किया जायेगा। आगणन में दर्शायी गयी मात्राओं एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम एवं नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग का होगा।

(2) प्रश्नगत कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप दिनॉक 31-3-2014 तक अवश्य पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उपकरण सामग्री आदि का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/स्थायी आदेशों एवं स्टोर परचेज नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।



http://shasanadesh.up.nic.in

(4) नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु प्रदेश सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना में धनराशि प्राप्त न की गई हो और न ही किसी अन्य योजना में स्वीकृत हेतु सम्मिलित करते हुए शासन को संदर्भित किया गया हो।

(5) नियंत्रक का यह दायित्व होगा कि जनपद आगरा में उपलब्ध भूमि विभाग के कब्जे में हो तथा निर्विवाद हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष- 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला/कार्यमानक प्रयोगशाला/ कैलीब्रियेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-बृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-1103/दस-2013, दिनॉक 13 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-872(1)/84-1-2013 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- राष्टीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
6- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, उ0प्र0, लखनऊ।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव

http://sfasanadesh.up.nic.in